निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिहं भाटी (आर.ए.एस) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ जिला राजसमंद

प्र0सं0 25/2020 प्रा.पत्र

निर्णय दिनांकः– 17.08.2020

अनवान

1 श्री घीसूसिहं पिता लालसिहं आयु 36 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमंद मो.नं. 9460658945

2 श्री गोविन्दसिहं पिता लालसिहं आयु 26 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमंद मो.नं. 952752074

3 श्रीमति सन्तोषकंवर पत्नि लालसिहं आयु 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमंद

प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री अमरसिहं पिता श्री कालूसिहं आयु बालिग जाति राजपूत निवासी ग्राम लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

2 श्री प्रवीणसिहं पिता श्री नाराणसिहं आयु बालिग जाति राजपूत निवासी ग्राम लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः– श्री लुम्बसिहं वकील प्रार्थी

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीगण के स्वामित्व अधिपत्य खातेदारी व कब्जे की भूमि ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमंद में स्थित है, जिसके आराजी नम्बर चालु जमाबन्दी सं. 2068 से 2071 खा0न0 276 है भूमि का विवरण इस प्रकार है

ग्राम	खा.नं.	आराजी नं.	श्रकबा
लसानी	766	768	1.12
		775	3.06
		776	2.13
		847	0.05

कुल किता 4 रकबा 7.18 बीघा है उक्त वर्णित कुलिया आराजियात पर प्रार्थीगण का निर्बाध रूप से कास्त वगैरह करता आ रहा है किन्तु प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के चारो और पत्थर की पक्की बाउण्ड्री

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

अथवा सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षी सं. 1 व 2 जो उक्त वर्णित भूमि की सीमा से मिलते हुऐ भूमि के पडौसी है वे हर समय फसल की कटाई बुनाई के सीमा संबंधी विवाद करते रहते है जिससे प्रार्थीगण को अनावश्यक मुक्कदमे बाजी के लिये विवश होना पडता है मौके पर अशान्ति कायम रहती है। प्रार्थीगण अपनी भूमि का शान्ति पूर्वक अपयोग–उपभोग नही कर पा रहा है। विपक्षीगण हर समय सीमा संबंधी विवाद करते रहते है। यदि पर्थीगण की उक्त भूमि की बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिये समाधान हो जाऐगा तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग काश्त बगैरह कर सकेगा अतः प्रार्थीगण की खातेदारी उक्त कृषी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगणका प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के समन जारी किये गये। प्रस्युत्तर मे प्रार्थीगण ने कोई जवाब पेशनही किया बल्की सम्मन तामील हो जाने पर भी अनुपस्थित रहे जिसपर विपक्षीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी विद्वान वकील प्रार्थी ने बह समे तर्क दिया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि ग्राम लसानी प0ह0 लसानी मे स्थित है जिसके खा0नं0 276 खा0नं0 768 रकबा 1.12 ख.नं. 775 रकबा 3.06 ख.नं. 776 रकबा 2.13 ख.नं. 847 रकबा 0.05 कुल किता 4 रकबा 7.18 बीघा है उक्त भूमि की प्रार्थीगण ने पत्थरगढी नही करवाई है जिससे विपक्षीगण जो प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि से मिलते हुऐ पडौसी है जो फसल बुवाई एंव कटाई के समय प्रार्थी की भूमि मे प्रवेश करजाते है कभी प्रार्थी की भूमि को हाक लेते है कभी फसल आदि को काट देते है।यदि प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिये समाधान हो जाऐगा तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक कास्त वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमायाजाकर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करावे। हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र नकल जमाबंदी एंव पत्रावली मे सलग्न अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा विधवान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी की जमाबंदी सं0 2068–2071 मे खातेदार है। खातेदार उसकी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करा सकता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानीखा0नं0 276 खा0नं0 768 रकबा 1.12 ख.नं. 775 रकबा 3.06 ख.नं. 776 रकबा 2.13 ख.नं. 847 रकबा 0.05 कुल किता 4 रकबा 7.18 की पत्थरगढी कराने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे कि पक्षकारान को सुचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिती मे भूमि की पत्थरगढी करा रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द
देवगढ